न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 70 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेसपोडेंटगण
1. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री धमेन्द्रसिंह 2. श्रीमती सुआदेवी पत्नी धमेन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. महेन्द्रसिंह पुत्र उदाराम 2. हुकमसिंह पुत्र उदाराम 3. श्रीमती भागु पत्नी उदाराम जाति वजीर निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 4. पुनमसिंह पुत्र छगनाराम 5. गणपतसिंह पुत्र छगनाराम 6. लुणसिंह पुत्र छगनाराम 7. बावुसिंह पुत्र छगनाराम 8. सोहनसिंह पुत्र छगनाराम 9. सुरताराम पुत्र रखाराम जाति रावणा राजपूत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 10. रूपाराम पुत्र केहराराम जाति विश्नोई निवासी सेडिया हाल धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 11. श्रीमती मोहनी पत्नी गणपतलाल जाति विश्नोई निवासी डाबल तहसील चितलवाना हाल धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी 13. विक्रम पुत्र सुजाराम जाति माली निवासी परावा निवासी चितलवाना जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 49 / 2020 बअनवान महेन्द्रसिंह वगै. बनाग लक्ष्मणसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री धनराज जोशी, श्री प्रेमाराम, श्री कुन्दनसिंह चौहान अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री अर्जनुलाल बोस रेस्पोडेंट संख्या 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—20.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 08 स्वर्गीय रखाराम पुत्र श्री वीरमाराम के वारिसान है। रखाराम के चार पुत्र थे धमेन्द्रसिंह, छगनाराम, सुरताराम व उदाराम। स्वर्गीय श्री रखाराम के चार खेत मौजा धांधलावास में थे जो संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति थी परन्तु गत भू प्रबन्ध के समय उन चार खेतों में से एक खेत खसरा संख्या 140 रकबा 33.07 बीघा व खसरा संख्या 139 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी का पर्चा लगान स्वर्गीय श्री रखाराम के नाम जारी हो गया। किन्तु शेष 3 खेत खसरा संख्या 188 रकबा 33.06 बीघा, खसरा संख्या 189 रकबा 18 बीघा तथा खसरा संख्या 200 रकबा 22.14 बीघा सिवायचक दर्ज हो गई जिसका ज्ञान स्वयं रखाराम को नहीं हुआ। कालान्तर में खसरा संख्या 188, 189, 200 मौजा धांधलावास जो बन्दोबस्त अभिलेख में सिवायचक दर्ज हो गई उसका आवंटन धमेन्द्र, छगना पिसरान रखाराम के नाम से हुआ। खसरा संख्या 188 रकबा 35.08 बीघा व खसरा संख्या 208/189 रकबा 18 बीघा धमेन्द्र व छगना पिसरान रखा के नाम से तथा खसरा संख्या 200/1 रकबा 22.14 बीघा भूमि धमेन्द्र पुत्र रखा के नाम से स्वयं रखाराम ने आवंटन करवाया गया और खसरा संख्या 140 मय ढाणी सुरताराम व उदाराम को दी गई। किन्तु श्री रखाराम का देहान्त होने के पश्चात खसरा संख्या 140 मय ढाणी खसरा संख्या 139 की खातेदारी का म्यूटेशन धमेन्द्र, छगनाराम, उदाराम व सुरताराम के नाम से बहिस्सा बराबर हो गया। खसरा संख्या 140 व 139 का प्रतिवादीगण ने हठतापूर्वक स्वयं के नाम विभाजन भी करवा दिया। फलस्वरूप वादीगण ने खसरा संख्या 188, 188/2 व 188/3, 208/189 तथा 200/1 समसत रकबा 74.08 बीघा में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंटस संख्या 04, 07

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व 13 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 09 के अधिवक्ता उपस्थित हुए लेकिन अकारण पत्रावली में बहस एवं पैरवी नहीं की जबकि पूर्व में भी रेस्पोडेंटस अधिवक्ताओं को बहस/पैरवी हेतु कई अवसर दिये गये। न्यायालय को न्यायिक निर्णय पारित करने में अनावश्यक विलंब नहीं हो इसलिए अपीलांटस अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। पत्रावली में जो प्रतिवादीगण के सम्मन विद्यमान है उसमें किसी भी तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट सम्मन तामिल करवाने बाबत नहीं है केवल ऐसा प्रकट होता है कि उक्त सम्मन पोस्टल रजिस्ट्री के मार्फत भेजे गये है। तथापित आदेशिका में सम्मन प्रतिवादीगण के पोस्टल रजिस्ट्री से जारी करने का कोई आदेश नहीं है और न ही यह सम्मन प्राप्त करने की स्वीकृति है। अपीलाकर्ता को न्यायालय द्वारा जारी कोई भी सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है यदि वादीगण ने साजिश करके कोई फर्जी तामिल, अपीलकर्ताओं की करवाई है तो वह शून्य है तथा पत्रावली में ऐसी कोई तामिली विद्यमान नहीं है जिसमें अपीलकर्ताओं के हस्ताक्षर हो। अपीलाधीन आराजी अपीलांटस की स्वअर्जित संपति है जिसमें रेस्पोडेंटस/वादीगण का कोई हक नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बार बार यह अवधारित किया गया है कि बंदोबस्त अभिलेख में एवं अधिकारों के अभिलेख में की गई प्रविष्टयों को केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

RRT 2017(1) Page 325

RRJ 2019(1) Page 719

RRT 2015(2) Page 1077

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 (03) सी पी सी वास्ते अबेट करने अपील पत्रावली पर अंतिम बहस सुनने एवं पत्रावली को निर्णय में सुरक्षित करने के पश्चात पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जबकि पक्षकार रेस्पोडेंटस है जिसकी सूचना समय पर देने रेस्पोडेंटस का भी दायित्व था। प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत आवेदन पत्रावली निर्णय में सुरक्षित रखने के पश्चात पेश किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः आवेदन खारिज किया गया।

रेस्पोडेंटस संख्या 09 द्वारा दिनांक 24.11.2021 को राजस्व अपील अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते क्रॉस अपील पेश की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखने का अनुतोष चाहा गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को सुने बिना एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत क्रॉस अपील रेस्पोडेंटस संख्या 09 द्वारा मियाद बाहर पेश की गई। लिहाजा इसे इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण आनन–फानन में जल्दबाजी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। खसरा संख्या 188, 189 व 200/1 प्रारम्भ में राजकीय बिला कब्जा सिवायचक भूमि दर्ज होने से अपीलकर्ता संख्या 01 के पिता धर्मेन्द्र तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 07 के पिता छगनाराम को राज्य सरकार द्वारा जरिये राक्षम अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर के आदेश दिनांक 21.08.1964 को आवंटित हुई है। अपीलाधीन आराजी अपीलांटस की स्वअर्जित संपति है। हस्तगत वाद में स्वअर्जित संपति को पैतृक बताकर खातेदारी घोषित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। बंदोबस्त अभिलेख में एवं अधिकारों के अभिलेख में की गई प्रविष्टयों को केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर परिवर्तित नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील को स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2020 वअनवान महेन्द्रसिंह वगै. बनाम लक्ष्मणसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2020 को खारिज की जाती है तथा अधिकारों के अभिलेख में पूर्ववत खसरा नम्बर 188 व 189 व 200/1 के इन्द्राज यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी निर्णय की पालना कर पालना से अवगत करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री ब मुकदमें अपील
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil procedeure Code, Appendix D-1)
आज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 70 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री धमेन्द्रसिंह 2. श्रीमती सुआदेवी पत्नी धमेन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. महेन्द्रसिंह पुत्र उदाराम 2. हुकमसिंह पुत्र उदाराम 3. श्रीमती भागु पत्नी उदाराम जाति वजीर निवासी धांधलावारा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 4. पुनमसिंह पुत्र छगनाराम 5. गणपतसिंह पुत्र छगनाराम 6. लुणसिंह पुत्र छगनाराम 7. बावुसिंह पुत्र छगनाराम 8. सोहनसिंह पुत्र छगनाराम 9. सुरताराम पुत्र रखाराम जाति रावणा राजपूत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 10. रूपाराम पुत्र केहराराम जाति विश्नोई निवासी सेडिया हाल धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 11. श्रीमती मोहनी पत्नी गणपतलाल जाति विश्नोई निवासी डाबल तहसील चितलवाना हाल धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी 13. विक्रम पुत्र सुजाराम जाति माली निवासी परावा निवासी चितलवाना जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 49 / 2020 बअनवान महेन्द्रसिंह वगै. बनाम लक्ष्मणसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

मुकदमा नम्बर 70 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफसाल कतई रू–ब–रू बहाजरी श्री धनराज जोशी, श्री प्रेमाराम, श्री कुन्दनसिंह चौहान अधिवक्ता अपीलांट व रेसपोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत व 09 के अधिवक्ता श्री अर्जुनराम बोस उपस्थित मिनजानिब मुददई व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि–अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2020 बआनवान महेन्द्रसिंह वगै. बनाम लक्ष्मणसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2020 को खारिज की जाती है तथा अधिकारों के अभिलेख में पूर्ववत खसरा नम्बर 188 व 189 व 200/1 के इन्द्राज यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी निर्णय की पालना कर पालना से अवगत करे।
पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।
चीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....
..को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी अपील	07	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	मेहनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चागवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	ब्बत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक(तलबाना)	00	00		00	00
मीजान	08		मीजान	01	

(नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहियें।)

(प्रतिष्ठा पेलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर